

क्रमांक 79/ई.आईएम.एस./2019
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल
ई मेल— web.manager.wrd@mp.gov.in
फोन— 0755-2973155 / 2573438 फेक्स— 0755-2552406

दिनांक 24.09.2019

प्रति,

समस्त मुख्य अभियंता
समस्त अणीक्षण यंत्री
समस्त कार्यपालन यंत्री
म. प्र. जल संसाधन विभाग
(वेबसाइट के माध्यम से)

विषय— दिनांक 25.09.2019 की स्थिति में Irrigation Monitoring Module में जेलाशयों में जल भराव एवं रबी सिंचाई का लक्ष्य वर्ष 2019-20 दर्ज किये जाने बाबत।

EIMS के Irrigation Monitoring Module में रबी सिंचाई वर्ष 2019-20 हेतु लक्ष्य दर्ज किया जाना है, इस बाबत Module को दिनांक 26.09.2019 से 05.10.2019 तक open किया जा रहा है।

समस्त कार्यपालन यंत्री, रबी सिंचाई हेतु दिनांक 25.09.2019 की स्थिति में जल भराव एवं लक्ष्य निर्धारण की जानकारी, Module में दर्ज करना सुनिश्चित करें। सिंचाई योजनाओं को Module में जोड़ने अथवा हटाये जाने की कार्यवाही दिनांक 29.09.2019 तक पूर्ण करें। संबंधित मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण यंत्री सुनिश्चित करें कि निर्धारित तिथि 05.10.2019 तक जल भराव एवं लक्ष्य निर्धारण की जानकारी कार्यपालन यंत्री द्वारा दर्ज कर ली गई है।

समीक्षा बैठकों के पश्चात दर्ज किये गये लक्ष्य एवं जल भराव की स्थिति को आवश्यक होने पर संशोधित किया जावेगा।

मॉड्यूल के संबंध में कठिनाई / तकनीकी समस्या होने पर फोन नं. 0755-2973155 पर अथवा ई-मेल web.manager.wrd@mp.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।


सहपत्र :- 1. सिंचाई लक्ष्य दर्ज किये जाने की प्रक्रिया
2. नवीन/आंशिक पूर्ण योजना का नाम जुडवाने के लिये प्रपत्र-1


24/9/19
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल

पृष्ठां. क्रमांक 80/ई.आईएम.एस./भोपाल/2019/

दिनांक 24.09.2019

1- श्री कमलेश रायकवार, वेबमेनेजर एवं ई.आईएम.एस. प्रभारी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


24/9/19
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल

उपसंभागवार योजनाओं के लक्ष्य दर्ज किये जाने की प्रक्रिया

1. EIMS Portal में कार्यपालन यंत्री की आई.डी. से Login करें।
2. Irrigation Monitoring Module पर Click करें।
3. Set/Update Target पर Click करें।
4. Sub Division, Select करें। अब Generate Button पर Click करने पर संबंधित Sub Division की योजनाओं की सूची प्रदर्शित होगी। इनका सत्यापन कर लें।
संभव है कि—
 1. कोई ऐसी योजना प्रदर्शित हो रही हो जो उस उपसंभाग में स्थित नहीं है, इस प्रकार कि योजना को उस उपसंभाग से हटाने हेतु web.manager.wrd@mp.gov.in पर मेल करें
 2. किसी योजना के उपसंभाग में परिवर्तन किया जाना हो।
 - 3- कोई ऐसी योजना हो जिसका नाम सूची में नहीं हो (नवीन/ आंशिक पूर्ण योजना) तो उसका नाम सूची में जुड़वाने के लिये, योजना की जानकारी संलग्न प्रपत्र-1 में भर कर web.manager.wrd@mp.gov.in पर मेल करें।
5. योजना के नाम के सामने Rabi Designed Irrigation, RL (In M), 25.09.2019 को Live Capacity (In MCum), Rabi Target 2019-20 (In Hactare) एवं रिमार्क कॉलम होंगे।
6. प्रत्येक योजना में दि. 25.09.2019 को Live Capacity (In MCum) अनिवार्य रूप से भरें। ध्यान रखें कि Live Capacity, MCum में हो, और यदि शून्य है तो शून्य ही भरी जाये।
7. योजना से की जाने वाली रबी सिंचाई का लक्ष्य (Hactare में) भरें।
8. उपसंभाग की जिस योजना से **रबी** सिंचाई नहीं हो रही हो उसमें लक्ष्य शून्य भरें, किन्तु लक्ष्य शून्य होने का कारण रिमार्क कालम में अवश्य दें।
9. ऐसी योजनायें जिनमें जल भराव नहीं हुआ हो अथवा जल भराव 50 प्रतिशत से कम हो ऐसी योजना में रिमार्क कॉलम में इसका कारण स्पष्ट एवं संक्षेप में लिखें।
10. यदि किसी बांध के डूबान/बांध क्षेत्र में अतिक्रमण है तो इसके लिये रिमार्क कालम में "Yes" लिखें अन्यथा "No" लिखें।
उपरोक्त कार्यवाही दिनांक 05.10.2019 तक पूर्ण कर लें।

Note:- कार्यपालन यंत्री द्वारा योजनाओं का लक्ष्य दर्ज करने के पश्चात ही अनुविभागीय अधिकारी रबी सिंचाई की जानकारी Module में दर्ज कर सकेंगे, अन्यथा नहीं।

नवीन / आंशिक पूर्ण योजना का नाम जुड़वाने के लिये प्रपत्र-1

S No.	Name of Sub Division	Name of Scheme	Type (Tank/Barrage/ LIS/Stopdam/ Weir etc)	Category (Major/Medium /Minor)	CCA (Ha)	Designed Rabi Irrigation (Ha)	Live Capacity at FRL (MCM)
1.	2	3	4	5	6	7	8